मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना कादरीगेट

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

1090 Women Power Line

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान

थाना कम्पिल

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

#Fatehgarhpolice

थाना अमृतपुर

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

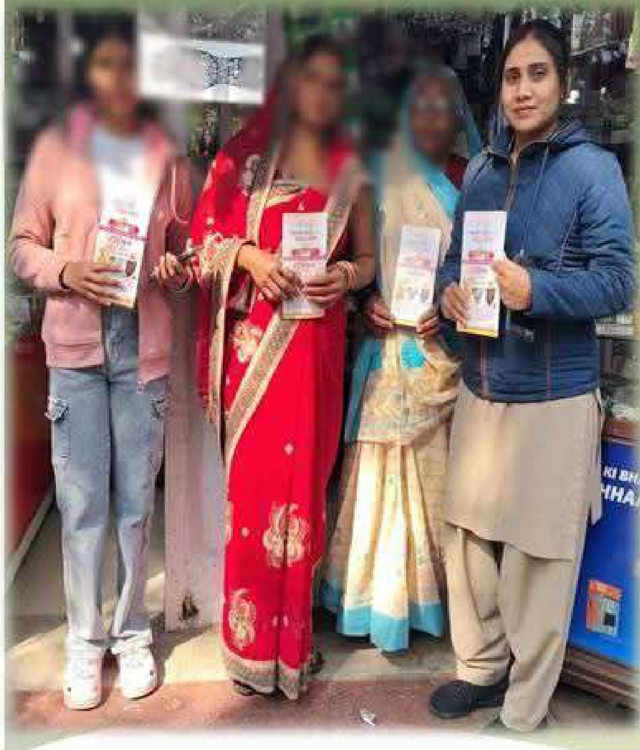

कोतवाली फर्रुखाबाद

1090
Women Power Line

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

महिला थाना

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

कोतवाली मोहम्मदाबाद

#Fatehgarhpolice

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

मिशन शक्ति 5.0
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
1930
101
1090
112
1076
102
108
181
1098
कोतवाली कायमगंज
Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0

थाना कमालगंज

मिशन शक्ति 5.0

थाना शमसाबाद

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 25.01.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 17/26 से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्त व 02 बाल अपचारी को चोरी किये गये माल व 15000/- रूपये सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 17/2026 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण आशिक, रोहित वर्मा व 02 बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये माल व 15000/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/318(3) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01. आशिक पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी पिपरगांव कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
02. रोहित वर्मा पुत्र विनोद कुमार निवासी 7/70 खटकपुरा कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
03. बाल अपचारी
04. बाल अपचारी

घटना का विवरण- दिनांक 23.01.2026 को वादिनी, निवासी ग्राम व पो0 पिपरगांव कोतवाली मोहम्मदाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरो द्वारा वादिनी को नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 17/2026 धारा 305/123(1) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त आशिक और उसके साथी बाल अपचारियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए चोरियां करते हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले उन्होंने अपने ही गांव में सर्वेन्द्र के घर में घुसकर उसकी सो रही मां को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उनके शरीर से सोने के टॉप्स, सोने की हाय (पत्ता) और चांदी की पायल चोरी कर ली। चोरी किए गए इन जेवरों को उन्होंने मुरहास कन्हैया स्थित 'बालाजी ज्वैलर्स' के मालिक रोहित वर्मा को बेच दिया था, जिसने इसके बदले उन्हें 18,000/- रुपये नकद दिए थे। इस राशि में से 3,000/- रुपये उन्होंने खाने-पीने में खर्च कर दिए और शेष 15,000 रुपये टिल्लू भट्टा के पास ईंट की बाउंड्री के पास आपस में बराबर बांट लिए थे। वहीं, सुनार रोहित वर्मा ने भी स्वीकार किया कि उसने लालच में आकर इन लड़कों से चोरी के जेवर खरीदे थे। साक्ष्य छिपाने की नियत से उसने सोने के टॉप्स और हाय को गलाकर टिकिया का रूप दे दिया था। अभियक्तगणों ने शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

01. 01 चांदी का पायल पुराना
02. 01 सोने की बनी टिकियानुमा
03. 15000/- रूपये

अभियुक्त आशिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 17/26 धारा 305/123(1)/ 317(2)/318(3) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त रोहित वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 06/26 धारा 305/123(1)/317(2)/318(3) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह
02.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र मलिक
03.हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह
04.का0 दिग्विजय सिंह
05.का0 ललित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 25.01.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस की बड़ी सफलता
24 घंटे के अंदर पशु चोरी का खुलासा, अवैध तमचों के साथ 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.01.2026 को थाना मऊदरवाजा पुलिस के द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित चोरों को चोरी किये गये मवेशियों व अवैध तमचों व कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01.मुन्ना लाल पुत्र श्रीकृष्ण निवासी ग्राम नगला पूरन थाना मऊदरवाजा वर्तमान पता ग्राम कुईयाबूट महावीर कोल्ड के पास थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

02.हरिश्चन्द्र पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम बघऊ थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

03.पप्पू उर्फ अनिल कुमार पुत्र राजेन्द्र सिह निवासी ग्राम नगला पूरन थाना मऊदरवाजा स्थायी पता ग्राम ऊनर पुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 24/25.01.2026 की रात्रि में ग्राम खुम्मरपुर से बकरियों की चोरी (मु0अ0स0 34/2026) एवं ग्राम नगला बैजू से भैंस की चोरी (मु0अ0स0 35/2026) के संबंध में अज्ञात चोरों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए थे। उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु सक्रिय मऊदरवाजा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम झौनी नगला के पास से घेराबंदी कर तीन अभियुक्तों (मुन्ना लाल, हरिश्चन्द्र एवं पप्पू उर्फ अनिल कुमार) को चोरी के मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त हरिश्चन्द्र एवं पप्पू के कब्जे से 01-01 अदद अवैध देशी तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे मवेशी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और डराने-धमकाने हेतु अवैध असलाह रखते हैं। बरामद अवैध असलाह के संबंध में थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 36/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

अभियुक्तगण उपरोक्त का पूछताछ विवरण -

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम लोग भैस, बकरी चोरी करते हैं और लोगो को डराने व घमकाने के लिए यह तमंचे अपने पास रखते है। हमारे दो अन्य साथी चोरी किये गये भैंस व बकरी को ले जाने के लिये गाड़ी की व्यवस्था करने गये थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया, गलती हो गयी माँफ कर दो। शेष सफाई अपने वकील के जरिये माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त मुन्नालाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01.मु0अ0सं0 490/2022 धारा 201/302 IPC थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
02.मु0अ0सं0 0034/2026 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
03.मु0अ0सं0 0035/2026 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त हरिश्चन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 0034/2026 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
02.मु0अ0सं0 0035/2026 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
03.मु0अ0सं0 0036/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त पप्पू उर्फ अनिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 0034/2026 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
02.मु0अ0सं0 0035/2026 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
03.मु0अ0सं0 0036/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01. 02 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
02. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. 01 भैंस
04. 02 बकरियां
05. 01 बकरी का बच्चा (बकरा)

बरामद/गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस-

01.थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
02.व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह
03.उ0नि0 श्री पंकज कुमार यादव
04.उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह यादव
05.हे0का0 मनोज कुमार
06.का0 रक्षपाल
07.का0 अनुज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।